उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

<u>अधिसूचना</u>

(अधिनियम –30/2013 की धारा–19(7) के अधीन)

अधिसूचना सं0–33/भू0अ0, हजारीबाग *दिनांक–21.01.2021*

चूंकि **उपायुक्त –सह– समुचित सरकार**, **हजारीबाग** को यह प्रतीत होता है कि ग्राम –**शहपुर**, थाना सं0– 05, थाना– **कटकमसांडी**, अंचल– **कटकमसांडी**, जिला– **हजारीबाग** में **0.34 एकड** भूमि सार्वजनिक प्रयोजन यथा **हजारीबाग कटकमसांडी चतरा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रयोजनार्थ** भू–अर्जन अपेक्षित है, जिसकी **अधिसूचना** दिनांक 31.12.2019 को **भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम** 2013 **की धारा**–11 के तहत **अधिसूचित** है। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.12.2020 को **काल बाधित** होकर **विखण्डित** हो गई।

सम्यक समीक्षोपरांत **भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम** 2013**(अधिनियम** –30/2013) **की धारा** 19(7) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12**(बारह) माह** का **अवधि विस्तार** की **स्वीकृति** दी जाती है।

अतः यह **अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम** 2013**(अधिनियम** –30/2013) **की धारा** 19(7) के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

ह0/–

उपायुक्त
–सह– समुचित सरकार,
हजारीबाग।